(117)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला –ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक विविध 4008–अध्यक्ष / 15

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश चतुर्भुज विरूद्व मध्यप्रदेश शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.12.15	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित । उनके द्वारा बताया गया है कि निगरानी प्रकरण क्रमांक अपील 440–अध्यक्ष / 15 में पारित आदेश दिनांक 14.5.15 द्वारा स्वीकार कर आदेश प्रदान किये थे कि अपीलार्थी द्वारा जमा की गई वर्ष 2014–15 की राशि को समायोजित करते हुये वर्ष 2015–16 की अवधि हेतु अपीलार्थी के आवेदन पत्र का 15 दिवस की अवधि में निराकरण करने के आदेश दिये थे । 2– अतः आबकारी आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर को आदेशित किया जाता है कि अपील 440–अध्यक्ष / 15 में दिये गये निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन किया जावे। 3– प्रकरण समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे । राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। सदस्य	

पाँच रुपये FIVE RUPEES FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध-14008-पीबीआर-15

प्रकरण क्रमांक /2015 विविध

चतुर्भुज गुप्ता आत्मज अन्तुराम गुपता प्रोप्रायटर

होटल भगवती निवासी नई सडक ग्वालियर

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन

इस माननीय न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 440–पी0बी0आर/2015 में पारित आदेश दिनांक 14–05–2015 का पालन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र.

महोदय,

आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि, अपीलार्थी द्वारा संचालित होटल में बार एफ0एल0–3 लायसेन्स 14–15 नवीनीकृत न किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी.

2. यह कि, अपीलाथर्ली के विरूद्व की गयी आधारहीन कार्यवाहीं के आधार पर लायसेंन्स नवीनीकरण न किये जाने के विरूद्ध अपीलाथर्नी ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जो प्रकरण क्रमांक 440पी0बी0आर/2015 पर पंजिबद्ध होकर जिसे इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 14–05–2015 को स्वीकार कर आदेश प्रदान किये थे किअपीलार्थी द्वारा जमा की गयी वर्ष 2014–15 की राशि को समायोजित करते हूए वर्ष 2015–16 की अवधि हेतु अपीलार्थी के आवेदन पत्र का 15 दिवस की अवधि निराकरण करे. अपील प्रकरण में पारित आदेश 20–04–2015 की प्रति संलग्न की जा रहीं है.

3. यह कि, अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न कर सहायक आवबकारी आयुक्त को दिनांक 28–05–2015,9–6–2015 एचं दिनांक 11–6–2015 को आवेदन प्रस्तुत किये उक्त आवेदनो की प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की जा रहीं है.

4. यह कि, सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा आज दिनांक तक उक्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही न करते हूए तथा अपीलार्थी का लायसेन्स नवीनीकरण न किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 7717/2015 प्रस्तुत की गयी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 3–12–2015द्वारा जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में नियत किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है.